(छ) आय या सम्पत्ति मानदण्ड-

निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री-

(क) ऐसे व्यक्ति जिनकी निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय एक लाख रूपये या इससे अधिक हो या जिनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति हो।

(ख) श्रेणी एक, दो, तीन या पांच (क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति जो आरक्षण के लाभ का आपात्र न हो किन्तु जिनकी अन्य स्रोतों से आय इतनी हो जो उन्हें ऊपर उप-श्रेणी (क) में विनिर्दिष्ट मानदण्ड के भीतर लाती हो।

स्पष्टीकरण-इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि-

(1) वेतन या कृषि भूमि से आय को मिलाया नहीं जायेगा,

(2) रूपये के अनुसार आय मानदण्ड प्रत्येक तीन वर्ष में उसके मूल्य परिवर्तन को ध्यान में रखकर उपान्तरित किया जायेगा। परन्तु यदि स्थिति की ऐसी मांग हो तो इसका अन्तराल कम भी हो सकता है।

आज्ञा से,
कालिका प्रसाद,
सचिव।

2- शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश एवं नियुक्तियों में आरक्षण

संख्या 1807/15-10-94-15 (18)/94

प्रेषक,

डा0 सूर्य प्रसाद,
सचिव, उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक 10 मई, 1994

विषय : विश्वविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे निवेदन करने का निदेश हुआ है कि जिस प्रकार राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय की शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों की सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये क्रमशः 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत के आरक्षण की सुविधा अनुमन्य की है, उसी प्रकार इन वर्गों के छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालयों के शैक्षिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य की जाय।

2- अतः अनुरोध है कि आप कृपया शासन की उपर्युक्त नीति के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये क्रमशः 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत के आरक्षण की सुविधा आगामी शिक्षा सत्र 1994-95 से ही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इस हेतु विश्वविद्यालय के नियमों में यथावश्यक संशोधन कर सभी सहयुक्त/सम्बद्ध शिक्षा संस्थाओं को भी निर्देशित करना सुनिश्चित करें। कृपया जारी किये गये निर्देशों/आदेशों की प्रति सहित कृत कार्यवाही से शासन को भी एक माह के भीतर अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा0 सूर्य प्रसाद,
सचिव।

संख्या 1807(1)/15-10-94 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
डा0 सूर्य प्रसाद
सचिव।